

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक 31 दिसम्बर, 2018:

पशुपालन अनुभाग-02

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में महिला डेरी विकास योजना (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1518-19/लेखा प्रस्ताव आयो० महिला डेरी /2018-19, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में डेरी विकास विभाग को महिला डेरी विकास योजना (एस०सी०एस०पी०) में प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 74.58 लाख में से रू० 40.58 लाख (रूपये चालीस लाख अठावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नवत मदवार आपके निर्वर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०सं०	मद का नाम	स्वीकृति धनराशि
1	महिला दुग्ध समितियों का गठन/पुर्नगठन	2.70
2	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	29.93
3	प्रपोल्सन चार्ज	1.80
4	एक्सटेन्शनएण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	3.55
5	ओवराईडिंग कॉस्ट	2.60
	योग	40.58

- सुपरवीजन, मॉनीटरिंग मद की धनराशि अनुसूचित जाति वर्ग के कार्मिकों को जो कि समितियों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यालय में कार्यरत है, के वेतन-भत्तो का भुगतान किया जा सकता है। यह धनराशि दुग्ध समितियों हेतु व्यय नहीं की जायेगी।
- उक्त स्वीकृति जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि की जायेगी तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या सहित सूचना प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-08 पर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं कर्तव्य संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।